(2)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/उ.आ./एल.पी.सी./15/डी– 142 दिनांकः– 26-2-15

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **114वीं बैठक दिनांकः 19.02.15 को प्रातः 11.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		114:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 113वीं बैठक दिनांक 15.01.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 103वीं से 113वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 113वीं बैठक दिनांक 15.01.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 103 से 113 की पालना की समीक्षा के दौरान जिन प्रकरणों में पालना अवशेष है, उनके संबंध में आयुक्त महोदय ने सचिव, जविप्रा के स्तर पर दिनांक 04.03.15 को बैठक आयोजित कर अवशेष प्रकरणों में पालना रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
2.	2	114:2	श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नी श्री श्रीराम निर्मल निवासी 28बी, शंकर विहार, सैनी कर्षि फॉर्म हाउस के पास मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर द्वारा उनको आवंटित आवास गृह संख्या डी–415, विद्याधर नगर, जयपुर के दोहरा आवंटन होने के कारण आवास गृह संख्या 8/21, स्वर्ण जयंती पार्क के पास, विद्याधर नगर बस स्टैण्ड जयपुर का आवंटन करने बाबत।	श्रीमती सम्पत्ति देवी पत्नी श्री श्रीराम निर्मल निवासी 28बी, शंकर विहार, सैनी कर्षि फॉर्म हाउस के पास मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर को ई.डब्ल्यू.एस स्कीम में दिनांक 26.07.1995 को लॉटरी द्वारा आवास गृह संख्या डी–415, विद्याधर नगर, जयपुर का आवंटन किया गया था। उनमें से 21 व्यक्तियों को विभिन्न कारणों से आवास का भौतिक कब्जा नहीं दिया गया। एलपीसी की बैठक दिनांक 02.01.02 के निर्णयानुसार सर्वप्रथम प्रस्तावित 21 व्यक्तियों के अल्प आय वर्ग में आने की जांच करते हुये ऐसे व्यक्तियों की पुनः सूची बनाई जाने के निर्देश है। उपायुक्त जोन द्वारा प्रार्थीया को डी–415 के स्थान पर आवास गृह संख्या 8/21, स्वर्ण जयंती पार्क के पास, विद्याधर नगर बस स्टैण्ड जयपुर का आवंटन 80000/– रूपये में किया जाना है अथवा वर्तमान दर पर किया जाना है, के संबंध में एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एलपीसी के निर्णय दिनांक 02.01.02 व न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थीया को आवास गृह संख्या डी–415 के स्थान पर आवास गृह संख्या 8/21, स्वर्ण जयंती पार्क के पास, विद्याधर नगर बस स्टैण्ड जयपुर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया। चूंकि आवंटन पूर्व निर्धारित दर पर किया जा रहा है। अतः यदि कोई राशि पूर्व में जमा की गई है, तो उसका समायोजन कर लिया जाए। शेष राशि कोर्ट के निर्णय की दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर गणना कर वसूल किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
3.	2	114:3	श्रीमती सावित्री देवी शर्मा पत्नि श्री शम्भुदयाल शर्मा निवासी सी–426, विद्याधर नगर, जयपुर द्वारा आवास संख्या सी–426 का आवंटन कब्जे के आधार पर करने बाबत।	श्रीमती सावित्री देवी शर्मा को जे.पी. कॉलोनी कच्ची बस्ती से हटाकर विद्याधर नगर योजना के ई.डब्ल्यू.एस. स्कीम का आवास संख्या सी–426, विद्याधर नगर, जयपुर का आवंटन किया गया था। परन्तु उक्त आवास श्री सुरेश कुमार को आवंटित होने के कारण आवंटन किया जाना संभव नही हो सका। प्रार्थीया द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की। न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 3601/96 में

(हस्ताक्षर) उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				उक्त आवास का कब्जा प्रार्थीया द्वारा जविप्रा को सौंपने व निर्णय की तिथि से एक माह के भीतर प्रार्थना पत्र पेश करने व कमेटी द्वारा निस्तारण करने का आदेश दिया गया। इसके विरुद्ध प्रार्थीया ने डी0बी0 स्पेशल अपील 322/01 दायर कर दिनांक 24.05.01 को स्थगन प्राप्त किया। श्री सुरेश कुमार को आवास संख्या सी–426 के स्थान पर आवास संख्या 4/24, विद्याधर नगर, जयपुर का आवंटन दिनांक 20.06.08 को कर दिया गया है। उपायुक्त ने एलपीसी की 208वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में गैर सर्वेधारियों से 58000/– रूपये लेकर आवंटन किये जाने का एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रार्थीया को भूखण्ड संख्या सी–426 का आवंटन गैर सर्वेधारी के रूप में 58000/– रूपये में किये जाने का निर्णय लिया गया। चूंकि आवंटन पूर्व निर्धारित दर पर किया जा रहा है। अतः पूर्व आवंटन की दिनांक से उक्त राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कर वसूल करने का भी निर्णय लिया गया।
4.	9	114:4	श्री जयराम पुत्र श्री सूज्या को रामनगरिया विस्तार योजना के भूखण्ड संख्या बी–469 से लगती हुई अतिरिक्त भूमि 41.65 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	श्री जयराम पुत्र श्री सूज्या को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड संख्या बी–469 क्षेत्रफल 323.07 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 41.65 वर्गमीटर बढा हुआ पाए जाने से उपायुक्त जोन–9 स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में उक्त भूमि 41.65 वर्गमीटर का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किये जा सकने का भी उल्लेख किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत उक्त स्ट्रीप ऑफ लेण्ड की 41.65 वर्गमीटर भूमि को योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
5.	9	114:5	तिरूपति सेवा संस्थान को महल विस्तार योजना में 1620 वर्गमीटर भूमि विद्यालय भवन हेतु आवंटन करने बाबत।	तिरूपति सेवा संस्थान ने विद्यालय हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–9 ने महल विस्तार योजना में 1620 वर्गमीटर भूमि विद्यालय हेतु आरक्षित होना बता कर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। चूंकि उक्त क्षेत्र नगर निगम सीमा के अन्दर है। अतः तिरूपति सेवा संस्थान को महल विस्तार योजना में विद्यालय हेतु आरक्षित 1620 वर्गमीटर भूमि का आवंटन योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर किये जाने की अनुशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
6.	9	114:6	श्रीमती रितु भोला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को बालाजी एनक्लेव–द्वितीय के भूखण्ड संख्या ए–154 से लगती हुई स्ट्रीप ऑफ लैण्ड की 94.56 वर्गगज भूमि के आवंटन बाबत।	श्रीमती रितु भोला पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार को बालाजी एनक्लेव–द्वितीय में भूखण्ड संख्या ए–154 क्षेत्रफल 164.06 वर्गगज का आवंटन किया गया था। उपायुक्त के अनुसार मौके पर 94.56 वर्गगज भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध है। जिसका आवंटन आवेदिका द्वारा चाहा गया है। उपायुक्त ने उक्त 94.56 वर्गगज भूमि को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उपायुक्त द्वारा उक्त भूमि का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता, संबंधित टिप्पणी एजेण्डा नोट में अंकित की है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढे हुये क्षेत्रफल 94.56 वर्गगज को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की आवासीय आरक्षित दर

सचिव (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	10	114:7	श्रीमती सुधा गर्ग पत्नी श्री महेश चन्द [illegible] की योजना सुमेल में भूखण्ड संख्या ए–605 के स्थान पर अन्य भूखण्ड दिये जाने के संबंध में।	जविप्रा की सुमेल योजना में भूखण्ड संख्या ए–144 श्री मोहन सिंह को दिनांक 19.05.97 को आवंटित किया गया था। लीजडीड दिनांक 03.05.2000 को जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 23.03.07 को श्रीमती सुधा गर्ग पत्नी श्री महेश चन्द गर्ग द्वारा क्रय कर लिया गया। उक्त भूखण्ड पर माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना मे दिनांक 28.09.10 को लॉटरी के माध्यम से श्रीमती सुधा गर्ग को भूखण्ड संख्या ए–144 के स्थान पर भूखण्ड संख्या ए–605 हस्तांतरित किया जाकर विनिमय पत्र दिनांक 06.05.14 को जारी किया गया। भूखण्ड संख्या ए–605 भी विवादग्रस्त होने के कारण कब्जा नहीं दिया गया। अतः श्रीमती सुधा गर्ग द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपायुक्त जोन द्वारा 92.16 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 9 मीटर चौडी रोड 8 भूखण्ड उपलब्ध होना बताकर भूखण्ड संख्या ए–605 के स्थान पर विनिमय हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्रीमती सुधा गर्ग को भूखण्ड संख्या ए–605 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी–657 क्षेत्रफल 92.16 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। बढे हुये क्षेत्रफल 2.16 वर्गमीटर की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से गणना कर आवंटी से लिये जाने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही 10 वर्ष से पूर्व भूखण्ड संख्या ए–144 को क्रय करने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत पुर्नग्रहण शुल्क भी वसूल करने का निर्णय लिया गया।
8.	11	114:8	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री सुधीर कुमार को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवेदक को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–85 ए का बढे हुये क्षेत्रफल को आवंटित किये जाने बाबत।	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री सुधीर कुमार को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–85 ए क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। परन्तु भूखण्ड खसरा सीमा में अंकित होने के कारण मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 21.5 वर्गमीटर बढ गया है। उपायुक्त ने उक्त भूमि का नवीन भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता अंकित कर स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर बढे हुये क्षेत्रफल 21.5 वर्गमीटर को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	13ए	114:9	राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक श्री अर्जुन सिंह को पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्री अर्जुन सिंह को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत पीताम्बरा आवासीय योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 200 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
10.	14	114:10	जविप्रा की बीलवा आवासीय योजना के सुविधा क्षेत्र में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये भूमि आरक्षित करने बाबत।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–तृतीय), जविप्रा, जयपुर ने बीलवा आवासीय योजना में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 X 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र की कुल 4670.64 वर्गमीटर भूमि में से पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स (पम्प हाउस,

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				सी डब्ल्यू आर, उच्च जलाशय, स्टोर रूम इत्यादि) के लिये 2400 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
11.	14	114:11	जविप्रा की हरित विहार आवासीय योजना के सुविधा क्षेत्र में पेयजल वितरण हेतु हैंडवर्क्स के लिये भूमि आरक्षित करने बाबत।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–तृतीय), जविप्रा, जयपुर ने हरित विहार आवासीय योजना में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 X 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन के प्रस्तावानुसार सुविधा क्षेत्र की कुल 6000 वर्गमीटर भूमि में से पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स (पम्प हाउस, सी डब्ल्यू आर, उच्च जलाशय, स्टोर रूम इत्यादि) के लिये 2400 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
12.	14	114:12	जविप्रा की योजना सूर्य नगर ब्लॉक ए व बी के सुविधा क्षेत्र में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये भूमि आरक्षित करने बाबत।	अधिशाषी अभियंता (पीएचई–तृतीय), जविप्रा, जयपुर ने सूर्य नगर ब्लॉक ए व बी आवासीय योजना में पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 40 X 60 = 2400 व.मी. भूमि आरक्षित करने का अनुरोध किया है। सुविधा क्षेत्र की कुल 4809.70 वर्गमीटर भूमि में से पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स (पम्प हाउस, सी डब्ल्यू आर, उच्च जलाशय, स्टोर रूम इत्यादि) के लिये 2400 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
13.	14ए	114:13	ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू में स्थित जविप्रा के स्वामित्व के खसरा नं. 65 किस्म चरागाह रकबा 8.24 हैक्टेयर में से सार्वजनिक श्मशान हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित बाबत।	उपायुक्त जोन–14ए द्वारा ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू में स्थित जविप्रा के स्वामित्व के खसरा नं. 65 किस्म चरागाह रकबा 8.24 हैक्टेयर में से सार्वजनिक श्मशान हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम गोरधनपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 65 रकबा 8.24 हैक्टेयर में से 2500 वर्गमीटर भूमि श्मशान हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आरक्षण इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
14.	15	114:14	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम झांई पुनर्वास योजना में पेयजल वितरण हेतु 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 X 30 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने हेतु लिखा है। उपायुक्त जोन- 15 ने ग्राम झांई पुनर्वास योजना में पीएचईडी हेतु रिजर्व 1982.39 वर्गमीटर भूमि में से 30 X 30 कुल 900 वर्गमीटर भूमि जल वितरण हेतु टंकी निर्माण आदि के लिये आवंटन करने हेतु उपायुक्त जोन–15 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जल वितरण हेतु टंकी निर्माण के लिए झांई पुनर्वास योजना में पीएचईडी हेतु रिजर्व 1982.39 वर्गमीटर भूमि में से 30 X 30 कुल 900 वर्गमीटर भूमि योजना की

प्रति ... माथुर (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
15.	15	114:15	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के खसरा नं. 120 किस्म गै. मु. चरागाह में से 1.00 हैक्टेयर भूमि पेयजल वितरण हेतु आवंटन करने बाबत।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये भूमि आवंटन करने हेतु लिखा है। उपायुक्त जोन–15 ने ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के खसरा नं. 120 किस्म गै.मु. चरागाह में से 1.00 हैक्टेयर रिक्त भूमि जल वितरण हेतु हैड वर्क्स, उच्च क्षमता जलाशय, सीडब्ल्यूआर स्टोरेज निर्माण आदि के लिये आवंटन करने हेतु उपायुक्त जोन–15 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जल वितरण हेतु हैड वर्क्स, उच्च क्षमता जलाशय, सीडब्ल्यूआर स्टोरेज निर्माण आदि के लिये ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के खसरा नं. 120 में से 1 हैक्टेयर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
16.	15	114:16	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को ग्राम पालडी परसा पुनर्वास योजना में पेयजल वितरण हेतु 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	मुख्य अभियंता (ग्रामीण) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज. सरकार, जयपुर द्वारा अजमेर रोड एवं सीकर रोड के मध्य स्थित क्षेत्र (मय पृथ्वीराज नगर योजना उत्तरी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र) की जलापूर्ति हेतु रिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पेयजल वितरण हेतु हैडवर्क्स के लिये 30 X 30 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु लिखा है। उपायुक्त जोन–15 ने ग्राम पालडी परसा पुनर्वास योजना में पीएचईडी हेतु रिजर्व 3509.78 वर्गमीटर भूमि में से 30 X 30 कुल 900 वर्गमीटर भूमि जल वितरण हेतु टंकी निर्माण आदि के लिये आवंटन करने हेतु उपायुक्त जोन–15 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जल वितरण हेतु टंकी निर्माण के लिए पालडी परसा पुनर्वास योजना में पीएचईडी हेतु रिजर्व 3509.78 वर्गमीटर भूमि में से 30 X 30 कुल 900 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
17.	9	114:17	श्री विजयपाल शौर्य चक्र धारक को महल विस्तार योजना में आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री विजयपाल द्वारा शौर्य चक्र प्राप्त करने के फलस्वरूप राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन चाहने हेतु आवेदन किया है। उपायुक्त जोन–9 ने महल विस्तार योजना में एफ ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 37 व 38 प्रत्येक क्षेत्रफल 120 कुल 240 वर्गमीटर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। शौर्यचक्र धारी को नियमानुसार अधिकतम 220 वर्गमीटर तक का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री विजयपाल को 240 वर्गमीटर भूमि में से 220 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। 220 वर्गमीटर से अधिक 20 वर्गमीटर भूमि के आवंटन की स्वीकृति व दर निर्धारण हेतु राज्य सरकार को लिखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
18.	11	114:18	सुश्री रितु सिंगोदिया पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह सिंगोदिया को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या डी–178 के बढे हुये क्षेत्रफल को आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 ने सुश्री रितु सिंगोदिया पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह सिंगोदिया को अनुपम विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–178 क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर में मौके पर बढे हुये 46.00 वर्गमीटर भूमि को स्ट्रीप ऑफ लेण्ड के रूप में आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एजेण्डा नोट में बढे हुये क्षेत्रफल का नवीन भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता, अंकित किया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त बढे हुये क्षेत्रफल 46 वर्गमीटर को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
19.	15	114:19	सेन्ट सांई एज्यूकेशन सोसायटी, फरीदाबाद जरिये अध्यक्ष श्री अनिरूद्ध जुनेजा को स्कूल हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–15 ने सेन्ट सांई एज्यूकेशन सोसायटी जरिये अध्यक्ष श्री अनिरूद्ध जुनेजा के आवेदन पर ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास के खसरा नं. 120 क्षेत्रफल 2.23 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 2.23 है0 भूमि में से 5000 से 8100 वर्गमीटर भूमि सीनियर सैकण्डरी स्कूल (सी.बी.एस.ई) हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के अन्तर्गत सीनियर सैकण्डरी स्कूल हेतु अधिकतम 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन का प्रावधान है। सीबीएसई के मापदण्डानुसार एक एकड भूमि न्यूनतम आवश्यक है। अतः संस्था को सीनियर सैकण्डरी स्कूल (सी.बी.एस.ई) हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर 3500/– रूपये प्रति वर्गमीटर पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।

बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

20.	14	114:19(1)	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड–फागी जिला जयपुर को ग्राम श्रीजयपालपुरा उर्फ गूजरोंवाला में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड–फागी जिला जयपुर को ग्राम श्रीजयपालपुरा उर्फ गूजरोंवाला के खसरा नं. 223/3 रकबा 1.16 बीघा किस्म चरागाह में से 30 X 30 = 900 व.मी. भूमि उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर ग्राम श्रीजयपालपुरा उर्फ गूजरोंवाला के खसरा नं. 223/3 रकबा 1.16 बीघा किस्म चरागाह में से 30 X 30 = 900 व.मी. भूमि उच्च जलाशय के निर्माण हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
	8	114:19(2)	निजी खातेदारी की अनुमोदित	उपायुक्त जोन–8 ने निजी खातेदारी आवासीय

सचिव, प्रमुख (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने बाबत।</td><td>योजनाओं में डवलपर के आवेदन पर सुविधा क्षेत्र व भूमि को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है सुविधा क्षेत्र की भूमि का [illegible] यूज (End Use) निर्धारित किया जा चुका है।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>निजी खातेदार का नाम</th><th>योजना का नाम</th><th>सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल</th><th>आवंटन का प्रयोजन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>श्रीमती भगवती देवी जरिये मु. आम चौपडा आवास विकास प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर श्री सीताराम चौपडा</td><td>त्रिपुरा नगर</td><td>373.50 वर्गमीटर</td><td>डिस्पेन्सरी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>श्री भूराराम, रामकरण भोलूराम पि० गुल्ला, श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री श्योजीराम, भगवान सहाय पुत्र स्व० श्री श्योजीराम नाबालिका संरक्षिका माता श्रीमती कमला देवी जाति जाट, निवासी ग्राम बाढ मोहनपुरा तहसील सांगानेर</td><td>जमुना एनक्लेव</td><td>4532.30 वर्गगज</td><td>स्कूल</td></tr>
</table>
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अनुसरण में अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के आदेश है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रकरणों में उनके सामने अंकित भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>22.</td><td>10ए</td><td>114:19(3)</td><td>मैसर्स फाईन्टेक डवलपर्स प्रा. लि. को निजी खातेदारी की योजना प्रिम एस्टेट में सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।</td><td>समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td>11</td><td>114:19(4)</td><td>निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने बाबत।</td><td>उपायुक्त जोन–11 ने निजी खातेदारी आवासीय योजनाओं में डवलपर के आवेदन पर सुविधा क्षेत्र की भूमि को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्ड यूज (End Use) निर्धारित किया जा चुका है।
<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>निजी खातेदार का नाम</th><th>योजना का नाम</th><th>सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल व आवासीय आरक्षित दर</th><th>आवंटन का प्रयोजन</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>श्री शंकर लाल शर्मा वगैरह</td><td>गोविन्द सिटी ग्राम पंवालिया</td><td>4266.18 वर्गगज</td><td>हायर सैकेण्ड्री स्कूल</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(9)

	तहसील सांगानेर		4000/- रू.प्र.व.मी.	
2	आशा, पोखर	गोविन्दम एनक्लेव ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर	2667.89 वर्गगज 4000/- रू.प्र.व.मी.	हॉस्पिटल/ [illegible]
3.	श्री विष्णु प्रसाद वगैरह	रिषभ देव रेजीडेन्सी ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर	11965.29 वर्गगज 4550/- रू.प्र.व.मी.	सैकेण्ड्री स्कूल
4.	आशा, पोखर	गोविन्दम एनक्लेव ग्राम हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर	2577.96 वर्गगज 4000/- रू.प्र.व.मी.	सैकेण्ड्री स्कूल

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अनुसरण में अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के आदेश है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रकरणों में उनके सामने अंकित भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

24.	11	114:19(5)	निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 ने निजी खातेदारी आवासीय योजनाओं में डवलपर के आवेदन पर सुविधा क्षेत्र की भूमि को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्ड यूज (End Use) निर्धारित किया जा चुका है।

क्र. सं.	निजी खातेदार का नाम	योजना का नाम	सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल व आवासीय आरक्षित दर	आवंटन का प्रयोजन
1.	मैसर्स ओम श्याम बिल्डस्टेट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री लक्ष्मण चौधरी	वृन्दावन सिटी–प्रथम ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर	1672.50 वर्गगज 8500/- रू.प्र.व.मी.	प्राईमरी स्कूल

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अनुसरण में अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के आदेश है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रकरण में उनके सामने अंकित भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

25.	11	114:19(6)	निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि	उपायुक्त जोन–11 ने निजी खातेदारी आवासीय योजनाओं में डवलपर के आवेदन पर सुविधा क्षेत्र की भूमि को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है।

(प्रा.) उपायुक्त (प्र.स.) जयपुर विकास प्राधिकरण

(10)

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>विकासकर्ता को आवंटन करने बाबत।</td><td>सुविधा क्षेत्र की [illegible] का एण्ड यूज (End Use) निर्धारित किया जा चुका है।
<table>
<tr><td>क्र. सं.</td><td>[illegible] का नाम</td><td>[illegible] नाम</td><td>सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल व आवासीय आरक्षित दर</td><td>आवंटन का प्रयोजन</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>नवरतन, गोपाल वगैरह</td><td>ऑफिसर्स ओएसिस रेजीडेन्सी ग्राम रामजीपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर</td><td>4168.44 वर्गगज 4000/- रू.प्र.व.मी.</td><td>हॉस्पिटल</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>नवरतन, गोपाल वगैरह</td><td>ऑफिसर्स ओएसिस रेजीडेन्सी ग्राम रामजीपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर</td><td>3084.88 वर्गगज 4000/- रू.प्र.व.मी.</td><td>सीनियर स्कूल</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>नवरतन, गोपाल वगैरह</td><td>ऑफिसर्स ओएसिस रेजीडेन्सी ग्राम रामजीपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर</td><td>3568.88 वर्गगज 4000/- रू.प्र.व.मी.</td><td>नर्सिंग होम्स</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>नवरतन, गोपाल वगैरह</td><td>ऑफिसर्स ओएसिस रेजीडेन्सी ग्राम रामजीपुरा बास नेवटा तहसील सांगानेर</td><td>1287.33 वर्गगज 4000/- रू.प्र.व.मी.</td><td>बैंक</td></tr>
</table>
राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरी
विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/
2010 पार्ट-IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अनुसरण
अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र क
आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के आदेश है। समिति
द्वारा विचार विमर्श कर उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 3 प
अंकित प्रकरणों में उनके सामने अंकित भूमि उक
प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने क
निर्णय लिया गया। तथा क्रम संख्या 4 पर अंकि
प्रकरण को स्थगित किया गया।</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>13ए</td><td>114:19(7)</td><td>मैसर्स रूबी होटल्स एण्ड रिसोर्टस प्रा0 लि0 के निदेशक श्री प्रदीप मित्तल को ग्राम टीकमपुरा तहसील जमवारामगढ में रिसोर्टस् प्रयोजनार्थ अनुमोदित एकल पट्टा के सुविधा क्षेत्र की भूमि के आवंटन बाबत।</td><td>मैसर्स रूबी होटल्स एण्ड रिसोर्टस प्रा0 लि0 के निदेशक
श्री प्रदीप मित्तल द्वारा उपायुक्त जोन को एक आवेद
पत्र प्रस्तुत कर रिसोर्टस प्रयोजनार्थ ग्राम टीकमपु
तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 508 रकबा 05 बीघ
07 बिस्वा भूमि में रिसोर्टस प्रयोजनार्थ 9819.99 वर्गमीट
भूमि में से सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 322 वर्गमीटर भू
आरक्षित दर पर आवंटन करने का अनुरोध किया है
साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि रिसोर्ट
प्रोजेक्ट के साथ हरे पेड पौधे लगाने व खुले क्षेत्र
काम में लिया जाना व्यक्त किया है तथा 25 प्रतिश
भूमि में इलिक्ट्रीशियन रूम व गार्ड रूम बनाने हेतु का</td></tr>
</table>

				मे लिया [illegible] उपायुक्त जोन–13[illegible] द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। डीपीसी (एलपी) के निर्णय दिनांक 27.11.14 मे जोन के प्रस्ताव अनुसार 322 [illegible] भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि में इलेक्ट्रीशियन रूम व गार्ड तथा शेष भूमि हरे पेड़–पौधे लगाने हेतु एण्ड यूज (End Use) निर्धारित किया गया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 के अनुसरण मे अनुमोदत टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के आदेश है। किन्तु इसकी आवासीय आरक्षित दर निर्धारित नहीं होना उपायुक्त ने बताया। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी बैठक दिनांक 15.07.14 में लिये गये निर्णयानुसार रिसोटर्स प्रयोजनार्थ ग्राम टीकमपुरा तहसील जमवारामगढ के खसरा नं. 508 में रिसोर्ट्स प्रयोजनार्थ 9819.99 वर्गमीटर भूमि में से सुविधा क्षेत्र की 322 वर्गमीटर भूमि में से 25 प्रतिशत भूमि मे इलेक्ट्रीशियन रूम व गार्ड तथा शेष भूमि हरे पेड–पौधे लगाने हेतु जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
27.	14	114:19(8)	अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड–फागी जिला जयपुर को जविप्रा की रोहिणी एनक्लेव योजना में उच्च जलाशय के निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–14 द्वारा अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड–फागी जिला जयपुर को जविप्रा की रोहिणी एनक्लेव योजन के सुविधा क्षेत्र 32692.30 वर्गमीटर में से 30 X 30 = 900 व.मी. भूमि उच्च जलाशय के निर्माण हेतु आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वार विचार विमर्श कर जविप्रा की रोहिणी एनक्लेव योजन के सुविधा क्षेत्र 32692.30 वर्गमीटर में से 30 X 30 = 900 व.मी. भूमि उच्च जलाशय के निर्माण हेतु योजन की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। भूमि का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। साथ ही शेष भूमि की प्लानिंग भी कराई जावे।
28.	14	114:19(9)	मैसर्स फाइनटेक टाउनशिप प्रा0लि0 निदेशक नगेन्द्र चौधरी को निजी खातेदारी योजना प्रिम हेबीटेट–बी में सुविधा क्षेत्र की भूमि का आवंटन करने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किय गया।
29	4	114:19(10)	श्रीमती कनीज बानो पत्नी श्री छीतर खॉं उर्फ गुलाम अहमद को पुनर्वास कर भूखण्ड आवटन करने बाबत।	श्रीमती कनीज बानो पत्नी श्री छीतर खॉं उर्फ गुलाम अहमद द्वारा हथरोई गढ़ी गृ.नि.स. समिति की योजन नन्दपुरी विस्तार में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित खसरा न 345 पर कब्जा किया हुआ है। उक्त संबंध में प्रार्थिय द्वारा माननीय जविप्रा ट्रिब्यूनल से अन्तरिम निषेधाज्ञ दिनांक 12.04.05 भी प्राप्त की गई थी। बाद [illegible] अधिकरण द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये कार्यवाह किये जाने के आधार पर निर्णय दिनांक 21.03.07 व पारित किया। उक्त निर्णय के अनुक्रम में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रार्थिया को हटाया गर था। उक्त कार्यवाही रिपोर्ट की पुष्टि प्रवर्तन शाखा द्वार की गई है। प्रार्थिया ने उसके रहवास ध्वस्तीकरण [illegible] बदले पुनर्वास किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि है। उपायुक्त जोन–4 द्वारा प्रार्थीया के पुनर्वास हे सवाईगेटोर योजना में भूखण्ड संख्या 44 में 45 वर्गमीट

उप० प्रा० (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(12)

				भूमि दिये ... प्रस्तुत किया ... एजेण्डा नोट में दिनांक 21.01.15 को जेड एल सी में जाकर भूखण्ड का उपविभाजन कर नव सृजित भूखण्ड संख्या 44-ए क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर दिया जाना अंकित किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार श्रीमती कनीज बानो के पुनर्वास हेतु सवाई गेटोर योजना में भूखण्ड संख्या 44–ए क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर का आवंटन योजना की आवासीय आरक्षित दर पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
30.	11	114:19(11)	निजी खातेदारी की अनुमोदित आवासीय योजनाओं में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्त्ता को आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 ने निजी खातेदारी आवासीय योजनाओं में डवलपर के आवेदन पर सुविधा क्षेत्र की भूमि को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सुविधा क्षेत्र की भूमि का एण्ड यूज (End Use) निर्धारित किया जा चुका है।

क्र. सं.	निजी खातेदार का नाम	योजना का नाम	सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल व आवासीय आरक्षित दर	आवंटन का प्रयोजन
1.	श्री शकर लाल शर्मा पुत्र गोविन्दराम	गोविन्द सिटी-II ग्राम पालिया तहसील सांगानेर	445.08 वर्गगज 4000/– रू.प्र.व.मी.	डिस्पेंसरी
2.	मैसर्स विष्णु रियलकॉन प्रा. लि. जरिये श्री जगदीश चन्द बंसल एवं रामकुमार बंसल	किंग्स रेजीडेन्सी ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर	800.88 वर्गगज 7800/– रू.प्र.व.मी.	सामुदायिक केन्द्र
3.	मैसर्स विष्णु रियलकॉन प्रा. लि. जरिये श्री जगदीश चन्द बंसल एवं रामकुमार बंसल	किंग्स रेजीडेन्सी ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर	1611.95 वर्गगज 7800/– रू.प्र.व.मी.	स्कूल
4.	मैसर्स विष्णु रियलकॉन प्रा. लि. जरिये श्री जगदीश चन्द बंसल एवं रामकुमार बंसल	किंग्स रेजीडेन्सी ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर	1307.07 वर्गगज 7800/– रू.प्र.व.मी.	नर्सिंग होम
5.	मैसर्स विष्णु रियलकॉन प्रा. लि. जरिये श्री जगदीश चन्द बंसल एवं रामकुमार बंसल	किंग्स रेजीडेन्सी ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर	510 वर्गगज 7800/– रू.प्र.व.मी.	धार्मिक स्थल
6.	छीतरमल, जगदीश पुत्र श्री गंगाराम जरिये मु.अ. मानसिंह पुत्र मूल सिंह	सेलिब्रिटी होम्स ग्राम जयसिंहपुरा बांस भांकरोटा तहसील सांगानेर	230.64 वर्गगज 9000/– रू.प्र.व.मी.	क्लीनिक
7.	श्री दलपत सिंह जरिये मुख्त्यारआम श्री अवनीश बंसल बहैसियत साझेदार अनुकृति बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स	अनुकृति दी एम्पीरियन ग्राम जयसिंहपुरा बांस भांकरोटा तहसील सांगानेर	6058.90 वर्गगज 9000/– रू.प्र.व.मी.	स्कूल
8.	श्री दलपत सिंह	अनुकृति दी	2892.05	अस्पताल

(... (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर)

				[illegible] श्री [illegible] बंसल [illegible] राजस्थान [illegible] एण्ड [illegible] | [illegible] जयसिंहपुरा [illegible] तहसील सांगानेर | [illegible] व.मी. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.[illegible] के अनुसरण में अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन के आदेश है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपरोक्त प्रकरणों में उनके सामने अंकित भूमि उक्त प्रयोजनार्थ आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
31.	13	114:19(12)	श्री दुष्यन्त सिंह शेखावत शौर्य चक्र धारक को राजारामपुरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्री दुष्यन्त सिंह शेखावत पुत्र श्री बिजेन्द्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2011 में शौर्य चक्र प्राप्त करने के फलस्वरूप आवासीय भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–13ए ने राजारामपुरा आवासीय योजना में 252 वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड रिक्त होना बताकर आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत शौर्यचक्र धारी को नियमानुसार अधिकतम 220 वर्गमीटर तक का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री दुष्यन्त सिंह शेखावत को राजारामपुरा आवासीय योजना में स्थित नॉन कॉर्नर 252 वर्गमीटर के भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया। आवेदक को 252 वर्गमीटर में से 220 वर्गमीटर भूमि योजना की आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया। 220 वर्गमीटर से अधिक 32 वर्गमीटर भूमि के आवंटन की स्वीकृति व दर निर्धारण हेतु राज्य सरकार को लिखे जाने का भी निर्णय लिया गया।
32.	19	114:19(13)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–19 द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लि० को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने हेतु सरस्वती एनक्लेव में अनुमोदित मानचित्र अनुसार 764 वर्गगज भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु रिक्त होना बताकर एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर 764 वर्गगज भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

15 परिशिष्ट अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 114वीं बैठक दिनांक 19.02.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः—

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री मेघराज सिंह रतनू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) व भूमि अवाप्ति अधिकारी	सदस्य
5.	श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री बृजेश कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी (आर एम)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री नवल किशोर बैरवा, उपायुक्त जोन—2	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन—4	विशेष आमंत्रित
9.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन—7	विशेष आमंत्रित
10.	श्रीमती विनिता सिंह, उपायुक्त जोन—8	विशेष आमंत्रित
11.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन—9	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन—11	विशेष आमंत्रित
13.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जान—12	विशेष आमंत्रित
14.	श्री रामावतार गुर्जर, उपायुक्त जोन—12ए, 13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
15.	श्री धर्मपाल सिंह, उपायुक्त जोन—14	विशेष आमंत्रित
16.	श्री तेजाराम चौधरी, उपायुक्त जोन—14ए	विशेष आमंत्रित
17.	श्री नरेश सिंह तवंर, उपायुक्त जोन—15	विशेष आमंत्रित
18.	श्रीमती सुमन मीणा, तहसीलदार जोन—10ए	विशेष आमंत्रित